2011:CGHC:10129-DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंड पीठ

कोरम: माननीय श्री टी.पी.शर्मा एवं
माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायमूर्तिगण।

दांडिक अपील क्र. 4/2005

अपीलार्थी — मुजीब ख़ान

बनाम

प्रत्यर्थी — छत्तीसगढ़ राज्य

एवं

–

दांडिक अपील क्र. 27/2005

अपीलार्थी — अब्दुल रज़्ज़ाक़ ख़ान उर्फ़ रज़्ज़ाक़ ख़ान

बनाम

प्रत्यर्थी — छत्तीसगढ़ राज्य

विचारण हेतु निर्णय

सही/-
(आर.एल.झनवर)
न्यायाधीश
18-2-2011

माननीय श्री न्यायमूर्ति टी.पी.शर्मा — मैं सहमत हूँ

सही/-
(टी.पी.शर्मा)
न्यायाधीश
18-2-2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 18 फरवरी, 2011 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया जाए

सही/–
न्यायाधीश
18-2-2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंड पीठ: माननीय श्री टी.पी.शर्मा एवं
माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायमूर्तिगण।

दांडिक अपील क्र. 04/2005

अपीलार्थी मुजीब ख़ान, पिता राशिद ख़ान, उम्र लगभग 24

जेल में वर्ष, व्यवसाय व्यापार, निवासी- गंजपारा, नहरपारा, चांदसी हॉस्पिटल के पास, थाना-गंज, रायपुर (छ.ग.)

बनाम

–

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट रायपुर

(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं

दांडिक अपील क्र. 27/2005

अपीलार्थी अब्दुल रज़्ज़ाक़ ख़ान उर्फ़ रज़्ज़ाक़ ख़ान, पिता

जेल में मोहिनुद्दीन ख़ान, उम्र लगभग 23 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, निवासी- स्टेशन चौक, नर्मदापारा, थाना-गंज, रायपुर (छ.ग.)

बनाम

–

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.)

श्री हाशिम ख़ान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी (दोनों अपीलों में)
श्री संदीप यादव, उप महाधिवक्ता वास्ते राज्य (दोनों अपीलों में)

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 18.02.2011 को पारित)

दांडिक अपील क्र. 04/2005 तथा दांडिक अपील क्र. 27/2005, जो कि सत्र प्रकरण क्र. 154/2003 में अष्टम् अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दिनांक 29.12.2004 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, को इस समान निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. अपीलार्थी — मुजीब ख़ान एवं अब्दुल रज्जाक़ ख़ान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धाराएँ 25 एवं 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹15,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया है, तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आयुध अधिनियम की धाराएँ 25 एवं 27 के अंतर्गत प्रत्येक को तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹1,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया है, और जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। यह दंडादेश आठवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 154/2003 में दिनांक 29.12.2004 को पारित निर्णय के माध्यम से दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उक्त अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, दिनांक 15.12.2002 को दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर शारदा पाण्डेय उर्फ़ बंटी पाण्डेय इंजीनियरिंग कॉलोनी, फाफाडीह स्थित पंकज त्रिपाठी के रिसेप्शन (समारोह) में भोजन करने के पश्चात वहाँ से वापस लौट रही थीं। उसी समय मृतक रेनिश पिल्लै भी उसी समारोह से बाहर निकल रहा था। जब वह मुख्य द्वार पर पहुँचा, तब वहाँ उपस्थित अपीलार्थियों ने उस पर चाकू से हमला किया। सर्वप्रथम अपीलार्थी अब्दुल रज्जाक ख़ान ने अपना आरी जैसे धारदार चाकू निकाला और मृतक रेनिश पिल्लै की गर्दन पर वार किया तथा तत्पश्चात उसके पेट पर प्रहार किया। मृतक रेनिश पिल्लै ने आत्मरक्षा में उसे ज़ोर से धक्का दिया, जिससे रज्जाक नीचे गिर पड़ा और उसी प्रक्रिया में अपराध में प्रयुक्त हथियार भी उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। इसके पश्चात सह-अभियुक्त मुजीब ख़ान ने वह चाकू उठाया और रेनिश पिल्लै पर बार-बार वार किए, जिसके कारण रेनिश पिल्लै ज़मीन पर गिर पड़ा। राहगीरों ने अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु वे घटनास्थल से भाग गए। इसके बाद शिकायतकर्ता शारदा पाण्डेय अन्य व्यक्तियों के साथ घायल रेनिश पिल्लै को जीप से अस्पताल ले गईं, जहाँ उपचार के दौरान रेनिश पिल्लै ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। बंटी पाण्डेय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रदर्श पी-2 के अंतर्गत दर्ज कराई गई। मर्ग सूचना प्रदर्श पी-36 एवं पी-37 के अंतर्गत दर्ज की गई। इसके पश्चात विवेचक (जांच अधिकारी) घटनास्थल पर पहुँचा और गवाहों को बुलाकर प्रदर्श पी-11 के अंतर्गत समन जारी किया गया। मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा (इनक्वेस्ट) प्रदर्श पी-12 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंतर्गत तैयार किया गया। इसके उपरांत मृत शरीर को डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल, रायपुर में पोस्टमार्टम हेतु प्रदर्श पी-13 के अंतर्गत भेजा गया, जहाँ डॉ. उल्हास गोनाडे (पी.डब्ल्यू.-10) ने प्रदर्श पी-14 के अंतर्गत शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

1. दाहिने कंधे के पार्श्व भाग पर एक छुरा-जनित चीरा-युक्त घाव पाया गया, जो अनुप्रस्थ-तिरछा था, जिसका अग्र-मध्य सिरा कुंद तथा पश्च-पार्श्व सिरा नुकीला था। इस घाव का आकार 4.7 सेमी × 0.8 सेमी × 9 सेमी था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दाहिने ऊपरी भुजा के ऊपरी आधे भाग के निचले हिस्से में एक छुरा-जनित चीरा-युक्त घाव पाया गया, जो ऊर्ध्वाधर-तिरछा था। इसका अग्र-मध्य सिरा कुंद तथा पश्च-पार्श्व सिरा नुकीला था। इस घाव का आकार 5 सेमी × 0.8 सेमी था और यह दाहिनी भुजा की भीतरी सतह पर स्थित था, जिसका नुकीला सिरा अग्र-ऊपरी दिशा की ओर था।

3. चोट क्रमांक 2 के ठीक ऊपर एवं पीछे, उसी दिशा में, 0.5 सेमी की दूरी पर एक खरोंच पाई गई, जिसका आकार 5.3 सेमी × 0.2 सेमी था।

4. दाहिनी भुजा के मध्य तिहाई के पार्श्व भाग पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक छुरा-जनित चीरा-युक्त घाव पाया गया, जिसका आकार 3 सेमी × 0.5 सेमी × 7.5 सेमी था।

5. पार्श्व भाग एवं ऊपरी होंठ पर अनुप्रस्थ दिशा में एक चीरा-युक्त घाव पाया गया, जिसका आकार 0.5 सेमी × 0.1 सेमी था। इसका पार्श्व सिरा नुकीला तथा मध्य सिरा कुंद था।

6. एक छुरा-जनित विदारित घाव पाया गया, जिसका आकार 16 सेमी था, जो शरीर के बाएँ पार्श्व भाग में, ज़ाइफॉइड प्रक्रिया से 2.5 सेमी नीचे स्थित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. ज़ाइफॉइड प्रक्रिया से 11 सेमी नीचे एवं 10 सेमी दाहिनी ओर एक खरोंच का निशान पाया गया, जो ऊर्ध्वाधर-तिरछा था और जिसका आकार 2.5 सेमी×0.1सेमी था। यह चोट भूमि स्तर से 48 इंच की ऊँचाई पर स्थित थी।

8. गर्दन के आधार के बाएँ भाग पर एक तिरछा छुरा-जनित चीरा-युक्त घाव पाया गया, जो भूमि स्तर से 68 सेमी ऊपर स्थित था।

उपर्युक्त सभी चोटें नवीन थीं तथा मृत्यु-पूर्व अवस्था में लगी थीं। मृत्यु का कारण गर्दन पर लगी छुरा-जनित चोट के परिणामस्वरूप हुए अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न आघात था। मृत्यु की प्रकृति मानववध थी।

अन्वेषण के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लिया गया। उन्होंने प्रदर्श पी-30 एवं प्रदर्श पी-34 के अंतर्गत खुलासा कथन दिए, जिनके आधार पर अपराध में प्रयुक्त चाकू तथा चप्पल अभियुक्तों के कथनानुसार बरामद किए गए, जिसकी जप्ती प्रदर्श पी-21 के तहत की गई। प्रदर्श पी-1 के अंतर्गत खून से सनी जीप क्रमांक एम.पी. 04/8336 जप्त की गई। प्रदर्श पी-3 के तहत एक यामाहा मोटरसाइकिल, पंजीकरण क्रमांक सी.जी.05/7773, भी जप्त की गई। प्रदर्श पी-4 के अनुसार अपीलार्थी अब्दुल रज्जाक ख़ान द्वारा प्रयुक्त मोबाइल फोन जप्त किया गया। खून से सने कपड़े, जूते तथा पंकज एवं आरती का एक विवाह-कार्ड प्रदर्श पी-5 के अंतर्गत जप्त किया गया। घटनास्थल से खून लगी मिट्टी तथा सामान्य मिट्टी प्रदर्श पी-6 के तहत जप्त की गई। रमनदीप सिंह, जो मृतक को अस्पताल ले गया था, उसके खून से सने कपड़े प्रदर्श पी-7 के तहत जप्त किए गए। इसी प्रकार, शेख जुबेर, जिसने मृतक को अस्पताल ले जाने में सहायता की थी, उसके खून से सने कपड़े प्रदर्श पी-8 के अंतर्गत जप्त किए गए। मृतक की खून से सनी कमीज का परीक्षण डॉ. उल्हास गोनाडे (अ.सा.-10) द्वारा प्रदर्श पी-15 के तहत किया गया। अपराध में प्रयुक्त चाकू का परीक्षण भी अ.सा.-10 डॉ. उल्हास गोनाडे द्वारा प्रदर्श पी-16 के अंतर्गत किया गया। अपीलार्थियों के खून से सने कपड़े प्रदर्श पी-31 एवं प्रदर्श पी-32 के तहत जप्त किए गए। प्रदर्श पी-35 के अंतर्गत शारदा पांडे के खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। अपीलार्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण प्रदर्श पी-40 एवं प्रदर्श पी-41 के अंतर्गत किया गया, किंतु उनके शरीर पर कोई बाह्य अथवा आंतरिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चोट नहीं पाई गई। जप्त एवं सीलबंद वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-43, प्रदर्श पी-44 एवं प्रदर्श पी-45 के माध्यम से भेजा गया तथा वे वस्तुएँ विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रदर्श पी-17 एवं प्रदर्श पी-18 के अंतर्गत प्राप्त की गईं।

4. गवाहों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत अभिलेखित किए गए। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने तत्पश्चात उक्त प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को अभिप्रेषित किया। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को यह प्रकरण विचारण हेतु स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थियों के दोष को सिद्ध करने के उद्देश्य से अभियोजन पक्ष ने कुल 27 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्त-अपीलार्थियों का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी कथन लिया गया, जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध प्रकट परिस्थितियों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए यह अभिवाक किया कि उन्हें उक्त अपराध में झूठा फँसाया गया है।

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सह-अभियुक्त आसिफ़ ख़ान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के

अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थियों को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया।

7. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हाशिम ख़ान तथा राज्य की ओर से उपस्थित श्री संदीप यादव, उप-शासनीय अधिवक्ता/अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुना है तथा आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेखों का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री हाशिम ख़ान, जो अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता हैं, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा कथित चक्षुदर्शी साक्ष्यों शरद उर्फ़ बंटी पांडे (अ.सा.-2), रमनदीप सिंह (अ.सा.-4), शेख ज़ुबैर (अ.सा.-5), दीपक पांडे (अ.सा.-6) तथा विनोद तिवारी (अ.सा.-20) के साक्ष्यों पर विश्वास करना विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। उपर्युक्त गवाहों के कथन आपस में परस्पर विरोधाभासी हैं। न्यायालय में दिए गए उनके बयानों तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस के समक्ष दिए गए उनके कथनों में भी महत्वपूर्ण एवं मौलिक विरोधाभास विद्यमान हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कुछ गवाहों ने चाकू की लंबाई 6 इंच बताई है, जबकि कुछ अन्य गवाहों ने उसे 6 फीट बताया है, जिससे अभियोजन का कथन संदेहास्पद हो जाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान उक्त चाकू को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभियोजन इस तथ्य को भी सिद्ध करने में असफल रहा है

कि सम्पूर्ण घटना वास्तव में किस प्रकार और कहाँ घटित हुई। कुछ साक्ष्यों ने कहा है कि घटना पंडाल के अंदर हुई, कुछ ने कहा कि शव पंडाल के बाहर मिला और कुछ ने यह बताया कि शव पंडाल के गेट पर पाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी दलील दी गई कि अभियुक्तों के कथित खुलासा बयान तथा उनके आधार पर की गई बरामदगी भी साक्ष्य अधिनियम के अनुरूप सिद्ध नहीं की गई है, अतः उन खुलासा बयानों के आधार पर की गई जब्ती विश्वसनीय नहीं है, किंतु इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने उन पर अनुचित रूप से अवलोक लिया है। जीप की जब्ती भी घटना के काफी समय बाद की गई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट रायपुर स्थित अस्पताल के पास स्थित पुलिस चौकी में दर्ज की गई थी, परंतु अभियोजन द्वारा उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए अभियोजन द्वारा पेश की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है, विशेष रूप से इस कारण से भी कि जिस गवाह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसने उसका समर्थन या पुष्टिकरण नहीं किया है। जब्त वस्तुओं पर पाए गए रक्त के धब्बों को मानव रक्त सिद्ध नहीं किया गया है और न ही उनका रक्त समूह मृतक के रक्त समूह से मेल खाता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मृतक, अभियुक्तगण तथा गवाह सभी एक ही राजनीतिक दल से संबंधित थे और उनके बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता थी, जिसके कारण अभियुक्तों को झूठा फँसाया गया है। अभियोजन के गवाहों ने यह कहा है कि मृतक ने उन्हें हमलावरों के बारे में बताया था, जबकि अभियोजन के अनुसार मृतक की मृत्यु तत्काल हो गई थी, जिससे ऐसे कथन स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय प्रतीत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

होते हैं। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर अवलंब लिया— (1) **सेवी एवं अन्य** (2) **कूडक्कल करियन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1230**; **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुश्ताक आलम, 2008 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 33 (एस.सी.)**; तथा (3) **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम जंगवाली सिंह एवं अन्य, 2004 (3) एम.पी.एच.टी. 406 (खंड पीठ)**।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने यह तर्क दिया कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में कुछ विसंगतियाँ तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों के मध्य कुछ विरोधाभास हो सकते हैं, किंतु ये विसंगतियाँ और विरोधाभास मूल प्रकृति के नहीं हैं और न ही वे प्रकरण की जड़ पर प्रभाव डालते हैं। अतः केवल इन्हीं आधारों पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन साक्षियों का साक्ष्य अविश्वसनीय है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि जब्त की गई वस्तु, अर्थात् चाकू, साक्षियों को पहले ही दिखाया जा चुका है और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक पर बार-बार प्रहार कर हमला किया था। अभियोजन पक्ष ने अपराध किए जाने का हेतुक भी सिद्ध कर दिया है, जो राजनीतिक दल से संबंधित कार्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के कारण था, तथा इसी कारण अपीलकर्ताओं ने रैनिश पिल्लै की हत्या की। जहाँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तक प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रश्न है, उनके अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस चौकी में नहीं, बल्कि पुलिस थाना में प्रदर्श पी-2 के रूप में दर्ज की गई थी। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की तिथि को ही शरद पांडेय उर्फ बंटी पांडेय द्वारा दर्ज कराई गई थी। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् विवेचना करने के उपरांत, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध कर दंडित किया जाना पूर्णतः उचित है।

10. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों का समुचित विवेचना करने के उद्देश्य से हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। वर्तमान प्रकरण में रैनिश पिल्लै की मृत्यु, उसके शरीर पर पाए गए घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई हत्या प्रकृति में मानववध थी, इस तथ्य को अपीलकर्ताओं की ओर से विवादित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य अभियोजन साक्षी (अ.सा.-10) डॉ. उल्हास गोन्नाडे के बयान तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 से भी सिद्ध होता है कि रैनिश पिल्लै की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि चक्षुदर्शी साक्षियों—शरद उर्फ बंटी पाण्डेय (अ.सा.-2), रमनदीप सिंह (अ.सा.-4), शेख जुबेर (अ.सा.-5), दीपक पाण्डेय (अ.सा.-6) तथा विनोद तिवारी (अ.सा.-20)—के साक्ष्यों पर आधारित है, जिन्होंने उक्त घटना को अपनी आँखों से देखा

था तथा घायल रैनिश पिल्लै (जो बाद में मृतक हो गया) को डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर ले गए थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। रैनिश पिल्लै की मृत्यु के पश्चात्, अस्पताल के वार्ड बॉय नकुल कोसरे (अ.सा.-22) द्वारा उसकी मृत्यु की लिखित सूचना प्रदर्श पी-20 के माध्यम से पुलिस थाना मौदहापारा को दी गई, जिस पर मर्ग सूचना प्रदर्श पी-37 के रूप में दर्ज की गई। तत्पश्चात् शरद उर्फ बंटी पाण्डेय (अ.सा.-2) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 दर्ज कराई गई, जिस पर उसके हस्ताक्षर विद्यमान हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह घटना दिनांक 15.12.2002 को रात्रि लगभग 10.30 बजे से 11.00 बजे के मध्य घटित हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि इसे घटना के लगभग 45 मिनट पश्चात् दर्ज किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रदर्श पी-50 के माध्यम से भेजी गई। अभियोजन साक्ष्य से यह भी स्थापित होता है कि उक्त घटना रेलवे कॉलोनी में घटित हुई, जहाँ अशोक त्रिपाठी के पुत्र पंकज त्रिपाठी के विवाह समारोह का आयोजन चल रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जहाँ तक अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत किए गए तर्क का प्रश्न है, इस संबंध में हरिओम गुप्ता (अ.सा.-27), जो कि विवेचना अधिकारी हैं, ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि बंटी पाण्डेय उर्फ़ शरद द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर उनके द्वारा थाना गंज, रायपुर में अपराध क्रमांक 296/02 अंतर्गत धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के

तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। यही तथ्य बंटी पाण्डेय के प्रतिपरीक्षण में भी सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि उसने अस्पताल के पास स्थित पुलिस चौकी/थाने के पुलिस अधिकारी को घटना की सूचना दी थी। उसके साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि उसने थाना गंज, रायपुर को भी इस घटना के संबंध में सूचित किया तथा उसी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और यह स्वीकार किया कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) पर उसके हस्ताक्षर हैं। हरिओम गुप्ता (अ.सा.-27) के साक्ष्य से यह भी सिद्ध होता है कि बंटी पाण्डेय उर्फ़ शरद के कहने पर उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, उस पर उसके हस्ताक्षर लिए और तत्पश्चात वही प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रद. पी-50 के माध्यम से प्रेषित की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटना के लगभग 45 मिनट के भीतर ही थाना गंज, रायपुर में बंटी पाण्डेय उर्फ़ शरद (अ.सा.-2) के कहने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज दी गई थी, जिससे यह परिलक्षित होता है कि रिपोर्ट में किसी प्रकार की हेरफेर या छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय के पैरा 28 से 35 में इस बिंदु पर सही ढंग से विचार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बंटी पाण्डेय (अ.सा.-2) द्वारा तुरंत दर्ज कराई गई थी तथा वही हरिओम गुप्ता (अ.सा.-27) द्वारा लिखी गई थी। मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना भेजे जाने के तथ्य को देखते हुए, हमें अपीलार्थियों के अधिवक्ता की इस आपत्ति में कोई सार प्रतीत नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहाँ तक सेवी प्रकरण (उपर्युक्त) का संबंध है, उस मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट को छिपा दिया गया था और उसकी जगह दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यहाँ तक कि न्यायालय के निर्देश के बाद भी पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर एवं जनरल डायरी प्रस्तुत करने में असफल रहा था, जिसके कारण यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट को दबा दिया गया था। परंतु वर्तमान मामले में बचाव पक्ष द्वारा न तो विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई मांग की गई और न ही न्यायालय ने मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट बुक अथवा जनरल डायरी प्रस्तुत करने का कोई निर्देश दिया, जिससे किसी पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट की संभावना को किया जा सके। अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, जब घायल को अस्पताल लाया गया, तब वह मृत पाया गया था और इस कारण डॉक्टर द्वारा कर्मचारियों के माध्यम से मृत देह लाए जाने की सूचना तत्काल प्रदर्श पी-20 के जरिए दी गई। इस सूचना के आधार पर थाना मौदहापारा पुलिस द्वारा शून्य क्रमांक में मर्ग सूचना प्रदर्श पी-37 दर्ज की गई। डॉक्टर या संबंधित कर्मचारी अपराध के घटित होने के संबंध में पुलिस को सूचित करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उनके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना संभव नहीं था। किंतु घटना के 45 मिनट के भीतर ही शरद उर्फ़ बंटी पाण्डेय (अ.सा.-2), जो घायल को अस्पताल लाया था, द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 के माध्यम से दर्ज कराई गई। शरद उर्फ़ बंटी पाण्डेय (अ.सा.-2) के साक्ष्य के अनुसार, वह घटना के समय उपस्थित था और उसने स्वयं घटना को होते हुए देखा था। इन परिस्थितियों में किसी भी

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूर्व सूचना या प्रारंभिक जानकारी में पाई जाने वाली कोई भी असंगति, प्रदर्श पी-2 के रूप में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। अतः सेवी प्रकरण (पूर्वोक्त) के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न हैं और वह वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता।

14. जहाँ तक राजनिश पिल्लई की हत्या जिस स्थान पर घटित हुई, उस घटना-स्थल का प्रश्न है, अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत की है कि अभियोजन पक्ष घटना के सटीक स्थान को सिद्ध करने में असफल रहा है। अभियोजन पक्ष के साक्षियों के अनुसार यह घटना पंडाल के गेट के निकट घटित हुई थी। साक्षी बंटी पाण्डेय उर्फ़ शरद (अ.सा.-2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दिनांक 15.12.2002 को वह रेलवे कॉलोनी स्थित पंकज पाण्डेय के रिसेप्शन समारोह में उपस्थित था, जहाँ अन्य आमंत्रित व्यक्तियों के साथ मृतक राजनिश पिल्लई, आसिफ मेमन, रमणदीप, शेख जुबेर, दीपक पाण्डेय तथा विनोद तिवारी भी मौजूद थे। उसने आगे यह बयान दिया कि जब वह बधाई देने के पश्चात गेट की ओर आ रहा था, उसी समय मृतक भी उससे लगभग 10–15 फीट की दूरी पर गेट की ओर जा रहा था। उसी समय अपीलार्थी भी विपरीत दिशा से आ रहे थे और अचानक उन्होंने यह कहते हुए शोर मचाया कि "मारो साले को, इसने मेरे भाई को मारा था।" इसके पश्चात अपीलार्थी रजाक ख़ान ने चाकू निकाला और राजनिश पिल्लई की गर्दन एवं पेट पर वार कर उसे चोटें पहुँचाईं। राजनिश पिल्लई ने रजाक ख़ान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का प्रतिरोध करते हुए उसे ज़ोर से धक्का दिया, जिससे वह नीचे गिर गया और चाकू भी ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके बाद अपीलार्थी मुजीब ख़ान ने वही चाकू उठाकर राजनिश पिल्लई पर पुनः प्रहार करना प्रारम्भ किया और तत्पश्चात दोनों अभियुक्त घटना-स्थल से भाग गए। घटना के तुरंत बाद साक्षी बंटी पाण्डेय (अ.सा.-2) तथा अन्य व्यक्तियों ने घायल को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के समय उपस्थित साक्षी आसिफ मेमन (अ.सा.-3), रमणदीप सिंह (अ.सा.-4), शेख जुबेर (अ.सा.-5), दीपक पाण्डेय (अ.सा.-6) तथा विनोद तिवारी (अ.सा.-20) ने भी घटना को अपनी आँखों से देखा और उन्होंने बंटी पाण्डेय (अ.सा.-2) के साक्ष्य की पुष्टि की है। उनके साक्ष्यों से भी यह तथ्य सामने आया है कि दोनों अभियुक्तों ने चाकू से राजनिश पिल्लई पर हमला किया था। यद्यपि इन साक्षियों के बयानों तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज उनके कथनों में कुछ विरोधाभास एवं लोप पाई गई हैं, तथापि वे महत्वपूर्ण या सारभूत प्रकृति की नहीं हैं और केवल कुछ छोटे-मोटे विरोधाभासों के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि साक्षीगण एवं अपीलार्थी एक ही राजनीतिक दल से संबंधित थे, उनके बीच कुछ विवाद था और वे एक-दूसरे के लिए अपरिचित नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह स्पष्ट है कि उक्त घटना रेलवे कॉलोनी के निकट उस स्थान पर घटित हुई, जहाँ अशोक त्रिपाठी के पुत्र पंकज त्रिपाठी के विवाह-उपरांत स्वागत समारोह का आयोजन चल रहा था। अभियोजन साक्षी बंटी पाण्डेय (अ.सा.-2) की प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन

किया है कि रैनीश पिल्लै तथा अभियुक्तगण विवाह समारोह के प्रवेश द्वार के पास उपस्थित थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि रैनीश पिल्लै चोटें लगने के पश्चात गुफा-आकृति वाले द्वार से बाहर निकला और मुख्य द्वार के सामने भूमि पर गिर पड़ा। इस संदर्भ में अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों के अवलोकन से भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि जिस स्थान पर पंकज त्रिपाठी का विवाह-स्वागत समारोह आयोजित किया जा रहा था, वह पंडाल के प्रवेश द्वार के समीप ही स्थित था। साक्ष्यों से यह भी प्रकाश में आया है कि वहाँ गुफा-आकृति वाला सुसज्जित द्वार बना हुआ था, जिससे यह संकेत मिलता है कि दो द्वार थे—एक मुख्य प्रवेश द्वार तथा दूसरा वह द्वार जो सीधे मुख्य पंडाल से जुड़ा हुआ था। यद्यपि मुख्य प्रवेश द्वार और पंडाल से जुड़े द्वार के मध्य की दूरी का कोई विशिष्ट उल्लेख साक्ष्यों में नहीं किया गया है, तथापि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट होता है कि जब उक्त घटना घटी, जिसमें रैनीश पिल्लै पर अभियुक्तगण द्वारा आरी-नुमा चाकू से हमला किया गया, उस समय सभी चक्षुदर्शी घटनास्थल के निकट ही उपस्थित थे तथा उन्हें, चाहे कुछ दूरी से ही क्यों न हो, उक्त घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने और उसका अवलोकन करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. तत्काल दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) से यह स्पष्ट होता है कि घटना-स्थल रिसेप्शन गेट के समीप था। रक्तरंजित मिट्टी तथा साधारण मिट्टी को भी प्रदर्श पी-6 के माध्यम से रिसेप्शन गेट के पास से बरामद किया गया है। साक्षी शरद

उर्फ़ बंटी पाण्डेय (अ.सा.-2) के साक्ष्य के अनुसार, बधाई देने के पश्चात वह रिसेप्शन गेट (बाहर की ओर) जा रहा था और वह मृतक रणिश पिल्लै से लगभग 10–15 कदम पीछे चल रहा था। उसी समय अपीलार्थी सामने की ओर से आ रहे थे। यह साक्ष्य भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि घटना रिसेप्शन गेट के निकट ही घटित हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ी तथा मौखिक साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं कि घटना-स्थल रिसेप्शन गेट ही था। यहाँ तक कि प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षी श्यामलाल (ब.सा.-1) एवं गौतम शर्मा (ब.सा.-2) ने भी यह स्वीकार किया है कि मृतक का शव रिसेप्शन गेट के पास ही पड़ा हुआ था। यद्यपि उन्होंने स्वयं घटना को नहीं देखा, तथापि उन्हें कुछ व्यक्तियों द्वारा यह सूचना दी गई थी कि किसी ने चाकू से रणिश पिल्लै पर हमला किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अपीलार्थियों ने यह दावा किया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें प्रश्नाधीन अपराध में झूठा फँसाया गया है।

18. वर्तमान प्रकरण में मृतक रणिश पिल्लै, अपीलार्थीगण तथा चक्षुदर्शी साक्षी शरद उर्फ़ बंटी पाण्डेय (अ.सा.-2), आसिफ मेमन (अ.सा.-3), रमनदीप सिंह (अ.सा.-4), शेख़ जुबेर (अ.सा.-5) और दीपक पाण्डेय (अ.सा.-6) सभी एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हैं। यद्यपि उनके दल के भीतर आंतरिक मतभेद हो सकते हैं और अपीलार्थियों तथा मृतक के बीच प्रतिद्वंद्विता भी संभव है, तथापि केवल शत्रुता के आधार पर साक्षियों के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हितबद्ध अथवा पक्षपातपूर्ण साक्षियों के साक्ष्य के

मूल्यांकन तथा गहन परीक्षण की आवश्यकता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **'रामानन्द यादव बनाम प्रभु नाथ झा एवं अन्य', एआईआर 2004 एससी 1053 के अनुच्छेद 15** में यह प्रतिपादित किया है कि— **"**परंतु साथ ही यदि रिश्तेदार या हितबद्ध साक्षियों की परीक्षा की जाती है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उनके साक्ष्य का गहन परीक्षण करे और यह निष्कर्ष निकाले कि उसमें सत्य का स्वर है या यह मानने का कोई कारण है कि साक्ष्य पक्षपातपूर्ण है। जब कभी यह दलील ली जाती है कि कोई साक्षी पक्षपातपूर्ण है या अभियुक्त के प्रति कोई वैमनस्य रखता है, तो उसके लिए आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि कोई पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है, तो न्यायालय को अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जब उसी प्रश्न पर संबंधों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दलबीर कौर एवं अन्य बनाम राज्य पंजाब, एआईआर 1977 एससी 472** के मामले में अनुच्छेद 13 में यह प्रतिपादित किया कि **"**कोई निकट संबंधी, जो मामले की परिस्थितियों में एक अत्यंत स्वाभाविक साक्षी होता है, उसे 'हितबद्ध साक्षी' नहीं माना जा सकता। 'हितबद्ध' शब्द से यह आशय निकलता है कि संबंधित व्यक्ति का यह प्रत्यक्ष हित होना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार अभियुक्त को दोषसिद्ध कराया जाए, चाहे अभियुक्त के प्रति उसके मन में कोई वैरभाव हो या किसी अन्य कारणवश।**"**

20. इसी प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अशोक कुमार चौधरी एवं अन्य बनाम राज्य बिहार, एआईआर 2008 एससी 2436 के मामले में यह स्पष्ट किया कि मात्र रिश्तेदारी ही किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती। केवल इस कारण से कि कोई साक्षी अपराध के पीड़ित का संबंधी है, उसे 'हितबद्ध साक्षी' नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 7 में निम्नलिखित रूप से अभिमत व्यक्त किया—

> "……अन्यथा भी यह कहना कि सार्वभौमिक रूप से यह एक नियम है कि सार्वजनिक साक्षी का परीक्षण न किया जाना अपने-आप अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान उत्पन्न करता है, या यह कि पीड़ित के किसी संबंधी की गवाही, जो अन्यथा विश्वसनीय हो, तब तक स्वीकार नहीं की जा सकती जब तक उसे सार्वजनिक साक्षियों से पुष्ट न किया जाए—यह कथन त्रुटिपूर्ण होगा। जहाँ तक पीड़ित के संबंधियों की गवाही की विश्वसनीयता का प्रश्न है, यह सुव्यवस्थित विधिक सिद्धांत है कि यद्यपि न्यायालय को ऐसी गवाही का अधिक सावधानी एवं सतर्कता से परीक्षण करना चाहिए, तथापि मात्र इस आधार पर कि उनका अभियोजन में हित है, उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल रिश्तेदारी अपने-आप साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती। केवल इस कारण से कि कोई साक्षी अपराध के पीड़ित का संबंधी है, उसे 'हितबद्ध साक्षी' नहीं ठहराया जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता। यह सर्वविदित है कि 'हितबद्ध साक्षी' शब्द से यह तात्पर्य है कि संबंधित व्यक्ति का अभियुक्त को किसी न किसी प्रकार दोषसिद्ध कराने में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो, चाहे अभियुक्त के प्रति उसके मन में कोई वैरभाव हो या कोई अन्य अनुचित उद्देश्य।"

21. **"संदीप बनाम राज्य हरियाणा, एआईआर 2001 एससी 1103"** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ऐसे मामलों में जहाँ पीड़ित एवं अभियुक्त, गवाह के परिचित हों, वहाँ उस गवाह का साक्ष्य महत्वपूर्ण माना जाएगा और केवल इस आधार पर उसकी आलोचना नहीं की जा सकती कि वह गवाह अभियुक्त के पिता को जानता था, अतः वह हितग्राही साक्षी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. हितग्राही अथवा शत्रुतापूर्ण गवाहों के मामलों में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उनके साक्ष्य की अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता के साथ जाँच-पड़ताल करे तथा समग्र परिस्थितियों के प्रकाश में उसका मूल्यांकन करे।

23. उपर्युक्त विधिक कसौटी के आलोक में न्यायालय को उपर्युक्त गवाहों के साक्ष्य की अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता से परीक्षा करनी आवश्यक है। शरद उर्फ़ बंटी पांडे (अ.सा.-2), आसिफ मेमन (अ.सा.-3), रमनदीप सिंह (अ.सा.-4), शेख जुबेर (अ.सा.-5) तथा दीपक पांडे (अ.सा.-6) ने अपने विस्तृत एवं सुस्पष्ट बयानों में स्पष्ट तथा विशिष्ट रूप से यह कहा है कि अपीलार्थी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने रानिश पिल्लै को घातक चोटें पहुँचाई

थीं, जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। यद्यपि उनके बयानों में कुछ विसंगतियाँ, विरोधाभास एवं लोप पाई जाती हैं, तथापि वे न तो महत्वपूर्ण हैं और न ही मौलिक प्रकृति की हैं। केवल छोटे-मोटे विरोधाभासों एवं चूकों के आधार पर उपर्युक्त गवाहों के साक्ष्य को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

24. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज कथन वह कथन होता है जो अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी सत्यता या विश्वसनीयता की जाँच किए बिना दर्ज किया जाता है। किन्तु न्यायालय में साक्ष्य के समय अभियुक्त पक्ष को प्रतिपरीक्षण का पूर्ण अवसर उपलब्ध रहता है, जिससे उस कथन की सत्यता, निष्पक्षता तथा उसमें किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति की जाँच की जा सके। धारा 161 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह संभावित विरोधाभासों एवं चूकों से संबंधित प्रत्येक कथन को अनिवार्य रूप से दर्ज करे, जो बाद में प्रतिपरीक्षण के समय प्रकट हो सकते हैं। अतः सामान्यतः न्यायालय में दिए गए साक्ष्य तथा धारा 161 के अंतर्गत दर्ज गवाह के कथन में कुछ विरोधाभास अथवा लोप पाई जा सकती है, परंतु केवल इसी आधार पर गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार या खारिज नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अभियोजन पक्ष ने तथ्यों के प्रकटीकरण के आधार पर वस्तुओं की बरामदगी से संबंधित एक अन्य प्रकार के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। ऐसा साक्ष्य स्वतः एक स्वतंत्र

एवं ठोस साक्ष्य नहीं होता, अपितु इसका उपयोग चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की पुष्टि के लिए किया जा सकता है।

26. अपराध में प्रयुक्त हथियार के स्मरण-पत्र तथा उसकी जब्ती के संबंध में, अभियोजन साक्षी अ.सा.-14 पी.के.एस. ठाकुर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श पी-21 एक जब्ती पत्र है, जिसके अनुसार अपीलकर्ता रज्जाक खान के कथन एवं उसकी निशानदेही पर एक आरी के समान चाकू जब्त किया गया था। प्रदर्श पी-21 पर पी.के.एस. ठाकुर के हस्ताक्षर भी विद्यमान हैं। अ.सा.-18 सतीश पिल्लई ने भी प्रदर्श पी-21 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रज्जाक खान की निशानदेही पर एक जोड़ी काले जूते भी जब्त किए गए थे। उन्होंने यह भी बयान दिया कि उन्होंने न्यायालय में रज्जाक खान की पहचान की तथा अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात आरी जैसे चाकू के संबंध में भी कथन दिया। अ.सा.-27 हरिओम गुप्ता ने यह कहा कि उन्होंने मुजीब तथा रज्जाक खान से स्मरण-पत्र लिया था और उसी के आधार पर उक्त चाकू जब्त किया गया, जैसा कि प्रदर्श पी-21 में अंकित है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-21 पर उनके भी हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता रज्जाक खान की निशानदेही पर अपराध का हथियार अर्थात आरी के समान चाकू जब्त किया गया। अ.सा.-27 हरिओम गुप्ता ने यह भी कहा कि उन्होंने मुजीब खान का भी प्रकटीकरण कथन लिया था, जिसके अनुसार खून से सने शर्ट और पैंट जब्त किए गए, जो कि प्रदर्श पी-35 हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. संक्षेप में तथा वस्तुतः, यदि अभियोजन पक्ष के चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया जाए, तो अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध यह निष्कर्ष सहज रूप से निकाला जा सकता है कि वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आरी जैसी धारदार छुरी से रैनीश पिल्लै की हत्या की, और इस जघन्य अपराध को उनके अतिरिक्त किसी अन्य ने अंजाम नहीं दिया। यह भी संभावित कारणों में से एक हो सकता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण अभियुक्तों द्वारा इस प्रकार का गंभीर एवं जघन्य अपराध किया गया।

28. मुश्ताक आलम के प्रकरण (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि कथित चक्षुदर्शी का साक्ष्य अस्वाभाविक हो, चिकित्सीय साक्ष्य के प्रतिकूल हो, साक्ष्यों में असंगति हो तथा मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें उस कथन से मेल न खाती हों, तो ऐसे तथाकथित चक्षुदर्शी की उपस्थिति संदेहास्पद हो जाती है। वर्तमान प्रकरण में, चक्षुदर्शी साक्षियों के अनुसार दोनों अपीलकर्ताओं ने चाकू से मृतक पर प्रहार किया। डॉ. उल्हास गोनाडे (अ.सा.-10) के साक्ष्य तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) के अनुसार, मृतक के शरीर पर पाए गए घाव छुरा घोंपने अथवा चीरेदार प्रकृति के थे, जो चाकू जैसे धारदार हथियार से उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य एवं चक्षुदर्शी साक्ष्य के बीच कोई असंगति नहीं है। न तो प्रत्यक्षदर्शियों का साक्ष्य अस्वाभाविक है और न ही किसी प्रकार अविश्वसनीय। घटना के समय अपने मित्र के परिवार के रिसेप्शन कार्यक्रम में उपस्थित होना भी अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। उक्त प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि उनकी अपीलकर्ताओं से कोई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गंभीर शत्रुता नहीं थी। वस्तुतः ये सभी गवाह, मृतक एवं अपीलकर्ताओं के समान राजनीतिक दल के सदस्य होने के कारण परस्पर परिचित थे। वे घटना के समय मौके पर उपस्थित थे और उन्होंने पूरी घटना देखी। उन्होंने न तो वास्तविक अपराधी को बचाया है और न ही अपीलकर्ताओं को झूठा फँसाया है। उनका साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है, विश्वसनीय है और उस पर सुरक्षित रूप से अवलंब लिया था।

29. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् विवेचना करने के पश्चात्, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उपर्युक्तानुसार अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध कर दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. साक्ष्यों की सूक्ष्म जाँच करने पर, हमें आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं दिखाई देती। परिणामस्वरूप, यह अपील सारहीन है और ख़ारिज किए जाने योग्य है, अतः इसे एतद्वारा ख़ारिज किया जाता है।

सही/–
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/–
आर.एल.झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ……Shreyas Nayak (Advocate)……...